न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 10/2019

इकराज पुत्र नजर मोहम्मद उम्र 43 वर्ष जाति कायमखानी, मुसलमान निवासी धनूरी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।

—अपीलार्थी

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार मलसीसर जिला झुन्झुनूं।

— रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार मलसीसर
उनवानी सरकार बनाम इकराज अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 10/2019 निर्णय दिनांक 23.01.2020

उपस्थितिः—

1 .श्री मुर्करम, एडवोकेट ———— ———— ——————————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट——————————————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 11.8.2020

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 23.01.2020 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम इकराज मु0नं0 10/2019 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार तहसीलदार मलसीसर के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि— पटवारी हल्का धनूरी ने इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि ग्राम क्यामसर पंचायत समिति धनूरी भूमि खसरा नंबर 164 रकबा 2.33 हैक्टर गै.मु. चारागाह पर इकराज पुत्र नजर मोहम्मद जाति कायमखानी मुसलमान निवासी धनूरी तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू नाजायज रूप से अतिक्रमण कर तारबन्दी बाड़ डोल व पाड़कर अतिक्रमण कर रखा है। बाद रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किा जाकर प्रार्थी/अपीलांट को धारा 91 के तहत नोटिस दिया गया। प्रार्थी/अपीलांट की ओर से दिनांक 24.12.2019 को जवाब नोटिस में दस्तावेज प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 03.12.2019 को अपील के अधिवक्ता

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 7.1.2020 नियत तारीख पेशी दी गई। दिनांक 07.1.2020 को अपील के वकील उपस्थित हुये। लेकिन पीठासीन अधिकारी नहीं होने के कारण दिनांक 23.1.2020 तारीख पेशी दी गई जिस पर दिनांक 22.01.2020 को ही अपीलांट द्वारा उक्त खसरा नंबर 164 ग्राम क्यामसर में सफल काश्त करने की रिपोर्ट कार्यालय में प्रस्तुत की गई। गिरदावर हल्का को उक्त फसल काश्त की कुर्की हेतु लिखा जावे। उक्त प्रकरण में दिनांक 23.1.2020 को मामले में एक तरफा सुनवाई की जाकर प्रार्थी/अपीलांट को फसल काश्त की कुर्की व निलामी की कार्यवाही अमल में लाई गई इससे व्यथित होकर यह अपील पेश कर निवेदन किया किया अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जांच किये एवं बिना मौका रिपोर्ट तैयार किये प्रार्थी को बिना सुने ही उक्त आदेश पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। वाके ग्राम क्यामसर की सरहद में स्थित भूमि खसरा नंबर 164 रकबा 2.33 हैक्टर भूमि में करीब 45 वर्षों से भी अधिक समय से अपीलांट व उसके पूर्वजों के समय से काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि के संबंध में पहले भी न्यायालय नायब तहसीलदार मलसीसर जिला झुंझुनू में मुकदमा उनवानी नेक मोहम्मद बनाम सरकार मु0 नं0 181/84 निर्णय दिनांक 16.11.1985 में प्रार्थी के पिता के पक्ष में निर्णय हुआ था जिसमें निर्णय करते हुये न्यायालय ने आदेश दिया था कि राज्य सरकार के परिपत्र संख्या 6/20/राज/ख. 71 दिनांक 02.7.1977 एवं 4/6/22 राज./4/83/5 दिनांक 02.02. 1983 के अनुसार गैर सायल श्री नजरू खां पुत्र हैदर खां जाति कायमखानी निवासी धनूरी के हक में खसरा नंबर 255 रकबा 9 बीघा 5 विश्वा नियमन करने की सिफारिश की जाती है। गैर सायल के विरूद्ध की जा रही धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही ड्रोप की जाती है। तथा वास्त नियमन स्वीकृत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू की सेवामें प्रेषित है, इसके बावजूद पटवारी हल्का ने रंजिशवश जानबूझकर अपीलांट को बेदखल करने एवं नुकसान पंहुचाने की नियम से गलत रिपोर्ट न्यायालय में पेश की है तथा न्यायालय द्वारा उस पर विश्वास कर गलत रूप से प्रार्थी को नोटि स देकर उसकी फसल काश्त की कर्की व निलामी की कार्यवाही की जा रही है, जो गलत है। पटवारी हल्का धनूरी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है व रिपोर्ट बिना मौका देख पेश की है, वादग्रस्त भूमि से प्रार्थी/अपीलांट का कोई संबंध नहीं है। पटवारी हल्का ने राजनैतिक दबाव में आकर यह रिपोर्ट पेश की है । इस रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, वह निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झनू

प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मलसीसर का आदेश दिनांक 23.01.2020 को निरस्त किया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि– धीनस्थ न्यायालय ने बिना जांच किये एवं बिना मौका रिपोर्ट तैयार किये प्रार्थी को बिना सुने ही उक्त आदेश पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। वाके ग्राम क्यामसर की सरहद में स्थित भूमि खसरा नंबर 164 रकबा 2.33 हैक्टर भूमि में करीब 45 वर्षों से भी अधिक समय से अपीलांट व उसके पूर्वजों के समय से काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि के संबंध में पहले भी न्यायालय नायब तहसीलदार मलसीसर जिला झुंझुनू में मुकदमा उनवानी नेक मोहम्मद बनाम सरकार मु0 नं0 181/84 निर्णय दिनांक 16.11.1985 में प्रार्थी के पिता के पक्ष में निर्णय हुआ था जिसमें निर्णय करते हुये न्यायालय ने आदेश दिया था कि राज्य सरकार के परिपत्र संख्या 6/20/राज/ख. 71 दिनांक 02.7.1977 एवं 4 /6/22 राज./ 4 /83/5 दिनांक 02.02.1983 के अनुसार गैर सायल श्री नजरू खां पुत्र हैदर खां जाति कायमखानी निवासी धनूरी के हक में खसरा नंबर 255 रकबा 9 बीघा 5 विश्वा नियमन करने की सिफारिश की जाती है। गैर सायल के विरूद्ध की जा रही धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही ड्रोप की जाती है। तथा वास्त नियमन स्वीकृत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू की सेवामें प्रेषित है, इसके बावजूद पटवारी हल्का ने रंजिशवश जानबूझकर अपीलांट को बेदखल करने एवं नुकसान पंहुचाने की नियम से गलत रिपोर्ट न्यायालय में पेश की है तथा न्यायालय द्वारा उस पर विश्वास कर गलत रूप से प्रार्थी को नोटि स देकर उसकी फसल काश्त की कर्की व निलामी की कार्यवाही की जा रही है, जो गलत है। पटवारी हल्का धनूरी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है व रिपोर्ट बिना मौका देख पेश की है, वादग्रस्त भूमि से प्रार्थी/अपीलांट का कोई संबंध नहीं है। पटवारी हल्का ने राजनैतिक दबाव में आकर यह रिपोर्ट पेश की है । इस रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, वह निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट

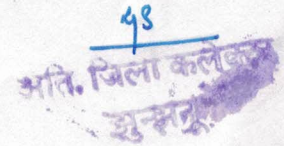

प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मलसीसर का आदेश दिनांक 23.01.2020 को निरस्त किया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि खसरा नंबर 164 रकबा 2.33 हैक्टर किस्म गैर मु0 चारागाह के रकबा 2.33 हैक्टर में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत निर्णय पारित किया गया है । अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि विवादित भूमि के संबंध में पूर्व में न्यायालय नायब तहसीलदार मलसीसर जिला झुंझुनू में मुकदमा उनवानी नेक मोहम्मद बनाम सरकार मु0 नं0 181/84 निर्णय दिनांक 16.11.1985 में प्रार्थी के पिता के पक्ष में निर्णय करते हुये न्यायालय ने आदेश दिया था कि राज्य सरकार के परिपत्र संख्या 6/20/राज/ख. 71 दिनांक 02.7.1977 एवं 4 /6/22 राज./4 /83/5 दिनांक 02.02.1983 के अनुसार गैर सायल श्री नजरू खां पुत्र हैदर खां जाति कायमखानी निवासी धनूरी के हक में खसरा नंबर 255 रकबा 9 बीघा 5 विश्वा नियमन करने की सिफारिश की जाती है। गैर सायल के विरूद्ध की जा रही धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही ड्रोप की जाती है। तथा नियमन स्वीकृति हेतु श्रीमान उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू की सेवामें प्रेषित है। इसके बावजूद पटवारी हल्का ने रंजिशवश जान बूझकर अपीलांट को बेदखल करने एवं नुकसान पंहुचाने की नियम से गलत रिपोर्ट न्यायालय में पेश की है । विवादित भूमि पर अपीलांट का काफी वर्षों पुराना कब्जा है, आदि। पत्रावली के अवलोकन से यह साबित है कि विवादित भूमि पर अपीलांट का काफी पुराना कब्जा काश्त है तथा विवादित भूमि के संबंध में पूर्व में न्यायालय नायब तहसीलदार मलसीसर के मुकदमा उनवानी नेक मोहम्मद बनाम सरकार मु0 नं0 181/84 निर्णय दिनांक 16.11.1985 में अपीलांट का पुराना कब्जा मानते हुये धारा 91 एल.आर. एक्ट की कार्यवाही ड्रोप की जाकर नियमन की सिफारिश की गई है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर के मुकदमा संख्या 10/2019 आदेश दिनांक 23.01.2020 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार मलसीसर को आदेशित किया जाता है कि औसत फसल निलामी के हिसाब से फसल राशि वसूल की जावे तथा उक्त भूमि के संबंध में पत्रावली उपखण्ड स्तर पर आवंटन

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

सलाहकार समिति के समक्ष रखवाकर के निस्तारण किया जावे। अगर अपीलांट नियमन में सफल होता है तो तत्समय भू राजस्व के हिसाब से राशि वसूल की जावे। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

11.8.2020

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 11.8.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू